प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दांडिक अपील क्र. 251/2007</u>

न्यायपीठ : माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायधीश और

माननीय श्री आर.एल. झँवर, न्यायधीश

<u>अपीलार्थी</u> थुपीराम पिता रंजन राम, उम्र 30 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम सिकबीरा, पुलिस थाना लोदाम, थाना-जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस थाना लोदाम, थाना-जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:

सुश्री चंद्र कुमारी नवरंग, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता राज्य के लिए लिए।

<u>मौखिक निर्णय</u>

(26.8.2010)

टी.पी. शर्मा, न्यायधीश द्वारा उद्घोषित:-

1. इस अपील में अपर सत्र न्यायाधीश, जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 72/2004 में पारित दिनांक 29-9-2004 के दोषसिद्धि और दंड के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को बिरसाई की हत्या कारित करने का दोषी मानते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि किया और आजीवन कारावास तथा 1000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया है, जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किए जाने का आदेश दिया।

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी निर्णायक और विश्वसनीय साक्ष्य के, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्धि और दंडादिष्ट किया, जैसा कि उपर्युक्त बताया गया है और इस प्रकार उसने अवैधता कारित की है।

3. अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला यह है कि अपीलार्थी, जो मृतक बिरसाई का भतीजा था, बिरसाई के स्थापित और कब्जे की भूमि को लेकर दुश्मनी रखता था, और उसकी कोई संतान नहीं था। दिनांक 11-6-2004 को, बिरसाई की शव खेत में मिली, जिस पर गंभीर चोटें थीं। सहदेव (अ.सा.-1) ने प्रदर्श-पी/1 के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित कराई। मर्ग सूचना की जानकारी प्रदर्श-पी/2 से अभिलिखित की गई। प्रदर्श-पी/3 से साक्षियों को बुलाने के बाद, प्रदर्श-पी/4 से बिरसाई की शव की मृत्यु समीक्षा तैयार की गई। प्रदर्श-पी/5 के तहत रक्त रंजीत मिट्टी और सादी मिट्टी बरामद की गई। शव को प्रदर्श-पी /16 के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लोदाम में शव परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. राजेंद्र सिंह राज (अ.सा.-6) ने प्रदर्श-पी/12 के तहत शव परीक्षण किया और बिरसाई की शव पर निम्नलिखित चोटें पाईं:

    1. चेहरे पर दोनों आँखों के नीचे 12x1 से.मी. x हड्डी तक गहरा कटा हुआ घाव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. दाहिने मैंडिबल और मैक्सिलरी हड्डी पर 17x6 से.मी. x हड्डी तक गहरा कटा हुआ घाव

3. बाएं जबड़े पर 6x3 से.मी. x हड्डी तक गहरा कटा हुआ घाव

4. गर्दन पर 22x7 से.मी. x सर्वाइकल कशेरुका तक गहरा घाव, श्वास नली, थायरॉइड उपास्थि, हाइओइड हड्डी, सर्वाइकल कशेरुका कटे हुए पाए गए।

5. बाईं ह्यूमरस हड्डी पर 18x4.5 से.मी. x हड्डी गहरा कटा हुआ घाव।

6. ह्यूमरस हड्डी टूटी हुई पाई गई।

शरीर पर पाई गई चोटें मृत्यु कारित करने लिए पर्याप्त थीं। मृत्यु का कारण हृदयघात था और मृत्यु मानववध प्रकृति की थी। अभियुक्त/अपीलार्थी को अभिरक्षा में लिया गया। उसने प्रदर्श-पी/6 के तहत बलुवा (हंसिया) के संबंध में प्रकटीकरण कथन दिया। अभियुक्त/अपीलार्थी की निशानदेही पर इसे पहाड़ी (चाइना पहाड़) से प्रदर्श-पी/7 के तहत जब्त किया गया। अभियुक्त के खून से सने कपड़े प्रदर्श-पी/8 के तहत ज़ब्त किए गए। घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श-पी/9 के तहत तैयार किया गया। मृतक के सीलबंद कपड़े प्रदर्श-पी/10 के तहत ज़ब्त किए गए। पटवारी ने प्रदर्श-पी/11 के तहत घटनास्थल का नक्शा तैयार किया। ज़ब्त किया गया बलुआ प्रदर्श-पी/13 के तहत डॉक्टर के पास भेजा गया। इसकी जांच डॉ. आर.एस. राज द्वारा प्रदर्श-पी/14 के तहत की गई। साक्षियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के तहत अभिलिखित किए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. जांच पूरी होने के बाद, जशपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, जशपुर की न्यायालय को

उपार्जित कर दिया, जहां से द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने विचारण के लिए मामले को अंतरण पर प्राप्त किया।

5. अपीलार्थी/अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 9 साक्षियों से परीक्षण कराया। अभियुक्त/अपीलार्थी का बयान भी संहिता की धारा 313 के तहत अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध उपस्थित परिस्थितियों से इंकार दिया और संबंधित अपराध में खुद को निर्दोष होने और झूठे आरोप में फंसाए जाने का अभिवाक किया।

6. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी को उपरोक्तानुसार दोषी करार देते हुए दंडादेश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता सुश्री चंद्र कुमारी नवरंग और राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला की तर्के सुनी तथा आपेक्षित निर्णय और अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

8. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस बात पर संदेह करने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने कोई अपराध किया है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपीलार्थी ही वह एक मात्र व्यक्ति था, जिसने अपराध किया है। लेकिन, संदेह चाहे जितना भी गंभीर हो विधिक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायिकेतर संस्वीकृति एक कमज़ोर प्रकार का साक्ष्य है और बिना किसी और पुष्टि के उस पर विश्वास करना सुरक्षित नहीं है। न्यायिकेतर संस्वीकृति को छोड़कर, अभियोजन पक्ष

ने अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभियुक्त/अपीलार्थी का न्यायिकेतर संस्वीकृति कोई भी नतीजा निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है और अभियोजन पक्ष ने परिस्थितियों की सभी श्रृंखला को सिद्ध नहीं किया है जिससे यह संभावना खारिज किया जा सके कि अभियुक्त/अपीलार्थी के अलावा किसी अन्य ने अपराध नहीं किया है।

9. इसके विपरीत, शासकीय अधिवक्ता ने तर्कों का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि दोषसिद्धि मुख्य रूप से दुलारा खलखो (अ.सा.-3), कोटवार के साक्ष्य पर आधारित है, जिसके समक्ष अपीलार्थी ने न्यायिकेतर संस्वीकृति दिया है और यह इस बात का निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी ने बिरसाई की हत्या कारित की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पक्षकारों की ओर से दिए गए तर्कों को विवेचन के लिए, हमने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

11. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने मृत्यु को मानववध प्रकृति के होने पर सारभूत रूप से विवाद नहीं किया है, जबकि डॉ. राजेंद्र सिंह राज (अ.सा.-6) के साक्ष्य और शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श-पी/12 से भी स्थापित किया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि चेहरे और गर्दन पर जानलेवा चोटें मिली थीं, जो मृतक की मृत्यु कारित के लिए पर्याप्त थीं और मृत्यु मानववध प्रकृति की थी।

12. विचाराधीन अपराध में अपीलार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता का प्रश्न है, दोषसिद्धि मूलतः अभियुक्त द्वारा अ.सा.-3-दुलारा खलखो के समक्ष दिए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति के साक्ष्य तथा अपीलार्थी के कथन पर हथियार के प्रकटन के साक्ष्य पर आधारित है। दुलारा

खलखो (अ.सा.-3) ने बयान दिया है कि घटना की तारीख को जब वह अपना काम पूरा करने के बाद अपने खेत से आ रहा था, अभियुक्त/अपीलार्थी उसे बहारी नदी के पास मिल और जब उसने पूछा कि अपीलार्थी कहां जा रहा है, तो उसने जवाब दिया कि वह जशपुर जा रहा है। उन्होंने पूछा कि वह जशपुर क्यों जा रहे हैं, तब अपीलार्थी ने उनके समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति दी कि उसने अपने पिता के बड़े भाई बिरसाई की मृत्यु कर दी है और उसके बाद वह घटनास्थल से भाग गया।

13. बचाव पक्ष ने दुलारा खलखो (अ.सा.-3) से विस्तृत रूप से प्रति-परीक्षण किया, लेकिन वह अपनी प्रति-परीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं उजागर कर सका जिससे अपीलार्थी द्वारा उसके समक्ष दिए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति के आधार पर उसकी गवाही को अविश्वसनीय किया जा सके। उन्होंने अपनी प्रति-परीक्षण के कंडिका 6 में कहा है कि उसने पुलिस को बताया था कि अपीलार्थी उसके खेत में मिला था और अपीलार्थी उससे उसके घर में नहीं मिला था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. मुख्य परीक्षण के कंडिका 1 में कोटवार दुलारा खलखो (अ.सा.-3) के बयान से पता चला कि अपीलार्थी ने उसे बताया था कि उसने उसके पिता के बड़े भाई को मार डाला है। मैं अपने बड़े पिताजी बीर साय को काट दिया हूँ। उसने सोचा कि यह गवाह उसे पकड़ लेगा, इसलिए वह भाग गया। प्रति-परीक्षण में उसने विशेष रूप से बताया है कि अभियुक्त उससे खेत में मिला था, लेकिन उसने ज़मीन विवाद से संबंधित कोई बात नहीं बताई। अपीलार्थी ने दुलारा खलखो (अ.सा.-3) के समक्ष न्यायिकेतर संस्वीकृति नहीं की है क्योंकि वह कोटवार था, लेकिन उसने दुलारा खलखो को एक व्यक्ति के रूप में तथ्य सुनाया है, जो स्वाभाविक है। हालाँकि, न्यायिकेतर संस्वीकृति एक कमज़ोर प्रकार का साक्ष्य है, लेकिन एक बार सिद्ध हो जाने पर, यह अपीलार्थी को दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है।

15. साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 के तहत किए गए न्यायिकेतर संस्वीकृति के साक्ष्य मूल्य पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य**[1] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति आमतौर पर कमज़ोर प्रकार का साक्ष्य होता है। सामान्यतः केवल इसी आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, जब तक कि उसकी पुष्टि भौतिक विवरणों से न हो जाए।

16. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहम्मद आज़ाद उर्फ़ समीन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य**[2] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि न्यायिकेतर संस्वीकृति स्वेच्छा से और स्वस्थ मनःस्थिति में सत्यता के साथ की गई हो, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है और संस्वीकृति को किसी भी अन्य साक्ष्य की तरह सिद्ध करना आवश्यक होगा। उक्त निर्णय का कंडिका 22 इस प्रकार है:-

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "22. यदि कोई न्यायिकेतर संस्वीकृति स्वैच्छिक, सत्य और स्वस्थ मनःस्थिति में की गई हो, तो न्यायालय उस पर विश्वास कर सकता है। संस्वीकृति को किसी भी अन्य तथ्य की तरह सिद्ध करना होगा। संस्वीकृति के संबंध में साक्ष्य का मूल्य उस साक्षी की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है जिसके समक्ष यह संस्वीकृति की गई है। संस्वीकृति से संबंधित साक्ष्य का मूल्य उस गवाह की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है जो साक्ष्य देता है। किसी भी न्यायालय के लिए यह उपधारण करना उचित नहीं है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति एक कमज़ोर प्रकार का साक्ष्य है। यह परिस्थितियों की प्रकृति, संस्वीकृति के समय और ऐसे संस्वीकृति के पक्ष में गवाही देने वाले गवाहों की विश्वसनीयता पर निर्भर करेगा। ऐसी संस्वीकृति पर भरोसा किया जा सकता है और दोषसिद्धि उस पर आधारित हो सकती है, यदि संस्वीकृति के बारे में साक्ष्य ऐसे गवाहों के

[1] 2009 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 3730
[2] 2009 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 752

मुंह से आए हों जो निष्पक्ष प्रतीत होते हों, अभियुक्त के प्रति दूर-दूर तक शत्रुतापूर्ण न हों, और जिनके संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया हो जिससे यह संकेत मिले कि अभियुक्त से झूठा बयान दिलवाने का उनका कोई हेतुक हो सकता है, गवाह द्वारा कहे गए शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध और स्पष्ट रूप से यह व्यक्त करते हों कि अभियुक्त ही अपराध का सूत्रधार है और गवाह द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा गया हो जो अपराध के विरुद्ध हो। गवाह के साक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर कठोर परीक्षण के बाद, न्यायिकेतर संस्वीकृति को स्वीकार किया जा सकता है और यदि वह विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरता है तो उसे दोषसिद्धि का आधार बनाया जा सकता है।"

17. वर्तमान मामले में, अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपराध के हथियार, अर्थात् बलुवा (हंसिया) के संबंध में भी प्रकटीकरण कथन दिया है। अधनु राम (अ.सा.-2), जो पंचनामा का साक्ष्य है, ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया है, किन्तु उसने कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि अपीलार्थी ने चीना पहाड़ से छिपा हुआ बलुवा (हंसिया) निकालकर पुलिस को सौंप दिया था। उसने अपनी प्रति-परीक्षण में स्वीकार किया है कि हथियार पुलिस द्वारा चीना पहाड़ से नहीं निकाला गया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि इस प्रकार का हथियार सामान्य रूप से पर ग्रामीण अपने घरों में रखते हैं। हालाँकि, बलुवा पर मिले खून के धब्बों की रासायनिक विशेषज्ञ द्वारा जाँच नहीं की गई है। हालाँकि, अधानु राम (अ.सा.-2) की साक्ष्य यह प्रकट करता है कि बलुवा (हंसिया) पहाड़ी में छिपाया गया था, जो सामान्यतः पहुँच से बाहर है, तभी अपीलार्थी ने उसे पहाड़ी से निकाला। यह एक पुष्ट साक्ष्य है। अपीलार्थी के साले सहदेव (अ.सा.-1), जिन्होंने प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई है, के साक्ष्य से भी स्पष्ट रूप से दुश्मनी और इस तथ्य की पुष्टि हुई कि वर्तमान अभियुक्त/ अपीलार्थी मृतक की भूमि हड़पने का इच्छुक था, जबकि मृतक

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

का उससे कोई विवाद नहीं था। दुलारा खलखो (अ.सा.-3) के समक्ष अपीलार्थी द्वारा किया गया न्यायिकेतर संस्वीकृति, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपीलार्थी को दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। अपीलार्थी की निशानदेही पर अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी और मृतक के साथ अपीलार्थी की दुश्मनी से भी इसकी पुष्टि होती है।

18. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषी करार देते हुए उपरोक्तानुसार दण्डित किया है।

19. साक्ष्य की गहन जांच करने पर हमें अपीलार्थी के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि और दंडादेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं दिखती, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता हो।

20. परिणामस्वरूप, अपील गुण-दोष से रहित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/- **सही/-**

टी.पी. शर्मा **आर.एल. झँवर**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By - Shubham Verma